भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं.1512
12 दिसंबर, 2025 को उत्तर देने के लिए

पीएमएफएमई का कार्यान्वयन, प्रगति और भावी रूपरेखा

1512. श्री सुभाष बरालाः
श्री प्रदीप कुमार वर्माः
श्री सुजीत कुमारः
श्री महेंद्र भट्टः
डा. कल्पना सैनी:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम निर्माण (पीएमएफएमई) योजना के कार्यान्वयन के दौरान पहचानी गई चुनौतियाँ क्या हैं और उनके समाधान के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं;
(ख) क्या मंत्रालय स्वयं सहायता समूहों, किसान उत्पादक संगठनों और एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) में लगे सूक्ष्म उद्यमों, जिनमें कारीगर भी शामिल हैं, के लिए सहायता तंत्र को मजबूत करने का विचार रखता है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) की गुणवत्ता सुधारने, मंजूरी प्रक्रिया को सुकर बनाने और राज्य नोडल एजेंसियों और वित्तीय संस्थानों के बीच समन्वय बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और
(ङ) क्या मंत्रालय ने योजना के निर्माण पर पड़ने वाले प्रभाव का कोई मूल्यांकन किया है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रवनीत सिंह)

(क): प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) योजना जून, 2020 में एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य देश में सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की सहायता करना था, जो बड़े पैमाने पर अनौपचारिक क्षेत्र में हैं और आमतौर पर ऋण, प्रौद्योगिकी उन्नयन, विपणन संपर्क और क्षमता निर्माण तक पहुंच की कमी से ग्रस्त हैं। योजना के घटकों को सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के सामने आने वाली इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। मांग आधारित योजना होने के कारण, सबसे बड़ी कार्यान्वयन चुनौती संभावित उद्यमियों द्वारा पर्याप्त संख्या में पूर्ण आवेदन उत्पन्न करना और कार्यान्वयन बैंकों द्वारा उनकी मंजूरी देना है। खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं के लिए मॉडल विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान (निफ्टेम) के परामर्श से तैयार की गई हैं और सभी के लिए आसान पहुंच के लिए योजना पोर्टल पर रखी गई हैं। राज्य कार्यान्वयन विभागों/एजेंसियों द्वारा आवेदकों को आवेदन प्रक्रिया,जो पूरी तरह से ऑनलाइन और निर्बाध है, में मार्गदर्शन और सहायता करने के लिए जिलों में पर्याप्त संख्या में जिला संसाधन व्यक्ति (डीआरपी) नियुक्त किए गए हैं। कुल 12 राष्ट्रीयकृत, 20 प्राइवेट और 165 दूसरे बैंक इस योजनाके कार्यान्वयन में सहभागिता कर रहे हैं ताकि लोगों तक इसकी ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच हो सके। आवेदकों को स्टेट लेवल टेक्निकल संस्थान (एसएलटीआई) के ज़रिए उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम (ईडीपी) के अंतर्गत प्रशिक्षण दिया जाता है और मास्टर प्रशिक्षक, जिला स्तरीय प्रशिक्षक और निजि प्रशिक्षण पार्टनर के साथ ऐसे इंस्टिट्यूट का एक पूल बनाया गया है। उद्यमशीलता विकास के अलावा, ऐसे प्रशिक्षण प्रोग्राम

आवेदकों को सही परियोजना बनाने में मदद करते हैं, जिससे बैंकों से परियोजना मंज़ूर होने की संभावना बढ़ जाती है। बजट का एक प्रतिशत राज्य स्तर पर सही संचार के ज़रिए योजना के प्रचार के बारे में जागरूकता कार्यक्रम चलाने के लिए रखा गया है। योजना के निष्पादन को बेहतर बनाने के लिए राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र सरकारों और हिस्सा लेने वाले बैंकों के साथ नियमित समीक्षा बैठकें की जाती हैं।

(ख) और (ग): पीएमएफ़एमई योजना के अंतर्गत, स्वयं सहायता समूहों, किसान उत्पादक संगठनों और एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) में लगे सूक्ष्म उद्यमों को मजबूत करने के लिए वित्तीय, तकनीकी और व्यापार सहायता दी जाती है। विवरण **अनुबंध** में हैं।

(घ): डीपीआर की गुणवत्ता सुधारने, अनुमोदन प्रक्रिया को आसान बनाने और समन्वय बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। जैसा कि ऊपर बताया गया है, खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं के लिए निफ्टेम के साथ सलाह करके 190 मॉडल डीपीआर तैयार किए गए हैं और सभी के आसान एक्सेस के लिए योजना पोर्टल पर डाल दिए गए हैं। ज़मीनी स्तर पर मदद देने और ज़रूरत के हिसाब से पूरी और काम की डीपीआर तैयार करने के लिए सूक्ष्म उद्यमों को सुविधा देने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने डीआरपी लगाये हैं।

इसके अलावा, आवेदक पंजीकरण, आवेदन जमा करने और विभिन्न स्तरों पर प्रगति को ट्रैक करने के लिए पीएमएफ़एमई ऑनलाइन पोर्टल मौजूद है। क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी के लिए मंज़ूरी जिला/ राज्य स्तर पर विकेंद्रीकृत हैं।

कार्यान्वयन चुनौतियों पर चर्चा करने और उन्हें हल करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, ऋण देने वाले बैंकों, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी), वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) और दूसरे संबंधित मंत्रालयों/डिपार्टमेंट्स के साथ नियमित समीक्षा बैठके भी की जाती हैं ।

(ङ): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफ़पीआई) ने पीएमएफ़एमई योजना तृतीय-पक्ष मध्यावधि प्रभाव मूल्यांकन करवाया है ताकि सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन पर योजना के असर का पता लगाया जा सके। अध्ययन के मुताबिक, इस योजना के अंतर्गत 60,000 सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम का औपचारीकरण किया गया है।

अनुबंध

दिनांक 12.12.2025 को उत्तर के लिए "पीएमएफएमई का कार्यान्वयन, प्रगति और भावी रूपरेखा" के संबंध में राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1512 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) योजना के अंतर्गत उपलब्ध वित्तीय सहायता का विवरण निम्नानुसार है:

(i) *व्यक्तिगत/समूह श्रेणी सूक्ष्म उद्यमों को सहायता:* पात्र परियोजना लागत का 35% की दर से क्रेडिट-लिंक्ड पूंजी सब्सिडी, अधिकतम सीमा 10 लाख रुपये प्रति इकाई;

(ii) *प्रारंभिक पूंजी के लिए स्वयं सहायता समूहों को सहायता:* कार्यशील पूंजी और छोटे औजारों की खरीद के लिए खाद्य प्रसंस्करण में लगे स्वयं सहायता समूहों के प्रत्येक सदस्य को 40,000 रुपये की दर से प्रारंभिक पूंजी दी जाएगी, जो प्रति स्वयं सहायता समूह संघ के लिए अधिकतम 4 लाख रुपये के अध्यधीन *होगी*।

(iii) सामान्य *अवसंरचना के लिए सहायता:* एफपीओ, एसएचजी, सहकारी समितियों और किसी भी सरकारी एजेंसी को सामान्य अवसंरचना स्थापित करने के लिए सहायता देने के लिए 35% की दर से ऋण से जुड़ी पूंजी सब्सिडी, जो अधिकतम 3 करोड़ रुपये के अध्यधीन होगी। सामान्य अवसंरचना की क्षमता का एक बड़ा भाग किराये के आधार पर उपयोग के लिए अन्य इकाइयों और आम जनता के लिए भी उपलब्ध ।

(iv) ब्रांडिंग *और विपणन सहायता:* एफपीओ/एसएचजी/सहकारिता समूहों या सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के एसपीवी को ब्रांडिंग और विपणन के लिए 50% तक अनुदान ।

(v) *क्षमता निर्माण:* इस योजना में उद्यमिता विकास कौशल (ईडीपी) के लिए प्रशिक्षण की परिकल्पना की गई है: खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और उत्पाद विशिष्ट कौशल की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कार्यक्रम को संशोधित किया गया है।